

मध्यप्रदेश शासन
रकूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय दल्लग मवन, भोपाल

क्रमांक ८५१-१३५/
प्रति,

/ 2018 / 20-1

भोपाल, दिनांक 10/03/२०१८

१. कलेक्टर,

- समस्त जिले मध्यप्रदेश ~ (बड़वानी, मण्डला, झाबुआ अलीराजपुर, डिप्हौरी, एवं अनूपपुर को छोड़कर)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले मध्यप्रदेश ~(बड़वानी, मण्डला, झाबुआ अलीराजपुर, डिप्हौरी, एवं अनूपपुर को छोड़कर)

विषय— मध्यप्रदेश राज्य रकूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के तहत अध्यापक संघर्ग की रकूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नियुक्ति बाबत।

संदर्भ— १. रकूल शिक्षा विभाग का पत्र क्र. एफ १-५९ / 2018 / 20-१ दिनांक 10.8.2018।
२. लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र./शि.क./विशेष सेल/ए/१/१८/०७ दिनांक 21.06.2018।

०-

उपरोक्त संदर्भ पत्र के द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त अध्यापक संघर्ग के मध्यप्रदेश राज्य रकूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्ति की कार्रवाही की जाकीया उचलन में है। अध्यापकों की सेवा प्राप्तिका को अद्यतन एवं सत्यापन करने का कार्य अधिकारी जिलों के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

- २/ द्वितीय चरण में संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापित की गई इसे पुस्तिका के आधार पर विकल्प एवं स्वधोषणा पत्र प्रस्तुत करने वाले अध्यापकों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन पर दिनांक 7.9.2018 से प्रदर्शित होना प्रारम्भ हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी को संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित उक्त सूची को निकाय वार एवं संघर्ग पार एकजट्ठ किया जाकर अध्यापक संघर्ग के नियुक्तकर्ता अधिकारियों को सूची में अंकित अध्यापकों की नियुक्ति का सत्यापन/पुष्टि करने हेतु दिनांक 09.09.2018 तक प्रेषित किये जाने के निर्देश हैं।
- ३/ भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्ति की पात्रता निघालन करने के लिए गठित जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हैं। उनसे अपेक्षा है कि वह निकायवार संघर्गदार प्राप्त अध्यापकों की सूची का सत्यापन उनके

नियुक्तलर्ता अधिकारियों से निश्चित समय-सीमा 12.9.2018 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उक्त सत्यापन की कार्यवाही के उपरांत जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक 14.9.2018 की अनिवार्यतः आयोजित कर निकार्यवार एवं सचिवालय भर्ती नियम 2018 के तहत नियुक्त हेतु पात्र, अपात्र एवं लभित प्रकरणों की अध्यापकवार प्रावधिक सूची तैयार कर प्रकाशित करने की कार्यवाही दिनांक 15.9.2018 तक पूर्ण किया जाना है।

कृपया उक्त कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में नियुक्त संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(दीपि मोड़ मुकर्जी)
प्रमुख सचिव [४] १
स्कूल शिक्षा विभाग

(इकबाल सिंह वैस)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि:-

1. रामस्त संभारीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. सगरत जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव [४]
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय ग्र.